

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

पत्रांक:- 375/ वन भूमि
सेवा में,

दिनांक: 21/03/2022

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषय: राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट-बेरीनाग-चकोड़ी-
काण्डा-बागेश्वर-ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण
(कि०मी० 171.00 से 206.00) प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022

संदर्भ: वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा का कार्यालय पत्र
सं० 4172/12-1 (2) अल्मोड़ा दिनांक 05.03.2022 एवं आपका ई०डी०एस०
दिनांक 15.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि
विषयक मोटर मार्ग पूर्व से निर्मित मोटर मार्ग है पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का ही चौड़ीकरण
कार्य किया जाना है। मार्ग हेतु कोई वैकल्पिक संरक्षण नहीं होने के कारण बॉज वृक्षों का
पातन आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पुनर्विचार करने की कृपा
करें। यदि मोटर मार्ग का निरीक्षण किया जाना आवश्यक हो तो अपने स्तर से संयुक्त
निरीक्षण की तिथि निर्धारित करते हुए निर्धारित तिथि से इस कार्यालय को भी अवगत
कराने की कृपा करें।

(इ० महेन्द्र कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

रा०मा०खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।

पत्रांक:- /

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता रा०मा० वृत्त लो०नि०वि० हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ
प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कागजाती हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

रा०मा०खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।